कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, शामली

पत्रांकः– 4366 जे0ए0/2019, दिनांकः 05–09–2019

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–डी–1052/सात–न्याय–3–19–54जी/2018, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित निर्णय दिनांक 16–08–2019 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में शासकीय अधिवक्ताओं के विभिन्न रिक्त पदों के सापेक्ष शासकीय अधिवक्ताओं की तैनाती/आबंधन के संबंध में समयबद्ध निर्णय लिये जाने हेतु शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.03 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित करते हुये पैनल गठित कर शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर 7.03 के अन्तर्गत शासकीय अधिवक्ताओं यथा फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व के निम्नांकित पदों पर सरकार की ओर से वादों में पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अधिवक्ता अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 27/09/2019 दिन शुक्रवार समय सांय 05.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित दिनांक/समय के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पदों का विवरण

1– जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)––––––––––––––––––––––––––01(एक) पद
2– जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी)––––––––––––––––––––––––––01(एक) पद
3– जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)––––––––––––––––––––––––––01(एक) पद
4– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)––––––––––––––––––––02(दो) पद
5– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी)––––––––––––––––––––02(दो) पद
6 नामिका वकील(दीवानी)––––––––––––––––––––––––––––––––01(एक) पद

अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ दो वर्षों की अवधि का सत्यापित कार्य विवरण तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। सभी अभ्यर्थी प्रपत्र **"क" व "ख"** में विवरण भर कर देंगे। इन दोनों प्रपत्रों का प्रारूप भी इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी अपने प्रार्थना पत्रों के साथ इसका उल्लेख करेंगे तथा अपनी जाति से संबंधित प्रमाणित प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करेंगे।

अभ्यर्थी अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

अभ्यर्थी के लिये अर्हतायें निम्न प्रकार हैः–

1– जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के पद हेतु न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव फौजदारी न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।

2– जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी) के पद हेतु न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव दीवानी न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।

3– जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) के पद हेतु न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव राजस्व न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।

4– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के पद हेतु न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव फौजदारी न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।

क्रमशः....................2

Scanned by CamScanner

5– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी) के पद हेतु न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव दीवानी न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।

6– नामिका वकील(दीवानी) के पद हेतु न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव दीवानी न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।

7– अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

8– अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत न हों। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कॉलिज से पूर्ण कालिक प्रवक्ता/ओथ कमिश्नर/नोटरी, विवाह अधिकारी, एमिक्स क्यूरी, काजी या राजकीय आदाता के पद पर कार्यरत हो तो उसे वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा।

9– अभ्यर्थी एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है तथा वह किसी भी न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं हुआ है और न ही उसके विरूद्ध कोई अभियोग किसी न्यायालय में विचाराधीन है।

10–अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

11–सरकारी/शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की यह शर्त होगी कि उसको निजी प्रैक्टिस का अधिकार नहीं होगा। उसे शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही देय होगा और वाद/अपील/निगरानी के मूल्यांकन के आधार पर फीस देय नहीं होगी। अन्य किसी कार्य/परामर्श आदि के लिये भी कोई अतिरिक्त फीस देय नहीं होगी। राज्य कर्मचारियों की कोई सुविधा उन्हें अनुमन्य नहीं होगी। सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में ही की जाएगी और राज्य सरकार/जिलाधिकारी को किसी भी समय बिना कारण बताये आबद्धता समाप्त करने का अधिकार होगा।

12–उपरोक्त पदों के सापेक्ष पैनल गठित कर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा तथा अन्तिम निर्णय शासन द्वारा ही लिया जाएगा।

13–विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.03(2) के अनुसार समीप के जिलों के सरकारी अधिवक्ता या विधि व्यवसायी भी उक्त पदों के लिए अपने जिलाधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र भेज सकते है।

14–पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर की धनराशि का विवरण और आयकर न लगाया गया हो, तो आयकर विवरणी संलग्न की जाएगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1–पद नाम, जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है:————————————————

2–अधिवक्ता का नाम————————————————————————————

3–पिता का नाम——————————————————————————————

4–अधिवक्ता का पूर्ण पता——————————————————————————

——

————————————————————————मोबाईल नम्बर——————————————

5–जन्म तिथि(प्रमाण पत्र सहित)————————————————————————

6–जाति(यदि अनु0जाति/अनु0जनजाति/————————————————————
अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो उसके प्रमाण पत्र सहित)

7–अधिवक्ता बनने की तिथि(सत्यापित प्रमाण पत्र सहित)——————————————

8–विधि व्यवसाय में कार्य करने का अनुभव———————————————————

9–हिन्दी का ज्ञान है अथवा नहीं——————————————————————

Scanned by CamScanner

10–विगत दो वर्षों का संबंधित न्यायालय से सत्यापित कार्य का विवरण
तथा सफलता का प्रतिशत–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11–पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर
अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि
आयकर न लगाया गया हो तो भेजे गये आयकर
का विवरण, यदि कोई हो तो–––––––––––––––––––––––––––––––––––
12–अन्य विवरण(यदि कोई हो)––––––––––––––––––––––––––––––––––

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–3(नियुक्तियां) लखनऊ को शासन के पत्र संख्या–डी–1052/सात–न्याय–3–19–54जी/2018, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद शामली(न्यायालय स्थित कैराना)।

3– जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर/सहारनपुर/बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति, आवेदन पत्र/प्रारूपों सहित अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

4– उप जिलाधिकारी, शामली/कैराना/ऊन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

5– प्रभारी अधिकारी(वाद/डी0एल0आर0सी0) कलेक्ट्रेट, शामली।

6– सचिव, जिला बार एसोसिएशन, शामली।

7– सचिव, बार एसोसिएशन, कैराना/शामली/ऊन।

8– नाजिर सदर, कार्यालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

9– नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट शामली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

10– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्ट्रेट, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति, आवेदन पत्र एवं प्रपत्र–क व ख को वेबसाईट www.shamli.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11– जिला सूचना अधिकारी, शामली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के संबंध में सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(अखिलेश सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
शामली।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र "क"

जिला शासकीय अधिवक्ता/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/नामिका वकील(फौजदारी/दीवानी/राजस्व)

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पते का विवरण	जाति	शैक्षिक योग्यता	जन्म तिथि	वकालत प्रारम्भ करने की तिथि	एडवोकेट बनने की तिथि व अनुभव	आयकर का विवरण	किस कानून की वकालत करते हैं	हिन्दी का ज्ञान		मोबाईल नम्बर
										हाँ	नहीं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Scanned by CamScanner

प्रपत्र "ख"

जिला शासकीय अधिवक्ता/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/नामिका वकील(फौजदारी/दीवानी/राजस्व)

(दो वर्ष की अवधि के कार्य)

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	अवधि	सत्र परीक्षण				अपील तथा रिवीजन			
			कुल वादों की सं0	अवमुक्त वादों की संख्या	दोषसिद्ध वादों की संख्या	सफलता का प्रतिशत	मुकदमें सरकार की ओर से किये गये अथवा निजी लोगों की ओर से	कुल संख्या	कितने मामलों में सफलता प्राप्त की	सफलता का प्रतिशत

Scanned by CamScanner